


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

25460-II/16



RS 30/-

1. स्व0 मनोहर तनय तिलकधारी केवट द्वारा विधिक वरिसान

स्व0 रामखेलावन तनय स्व0 मनोहर द्वारा विधिक वरिसान

- 1.1.1 विरझानी
1.1.2 छोदू

2. सुदामा तनय स्व0 राममनोहर

3. सुखसेन तनय स्व0 राममनोहर

सभी निवासी ग्राम जमुआ तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. हीरालाल तनय मंगल केवट
2. स्व0 बुधदसेन तनय मंगल केवट द्वारा विधिक वरिसान
 - 2.1 यशोदा
 - 2.2 संतोष केवट
 - 2.3 रामसुशील केवट
 - 2.4 सोनू केवट
3. बब्बू पिता सूर्यबली केवट
4. स्व0 रामधनी केवट गरुल केवट द्वारा विधिक वरिसान
 - 4.1 बेवा सोनिया
 - 4.2 रामप्रसाद
 - 4.3 छोटे
 - 4.4 सन्तोष
 - 4.5 रजई
 - 4.6 पुत्री लाला
 - 4.7 पुत्री बुटलिया
 - 4.8 पुत्री ललिता
 - 4.9 सिया
5. रामचरण पिता गरुल केवट
6. सुखनन्दन तनय धनपत केवट
7. भैयालाल तनय धनपत केवट
8. वंशपति तनय सरजू केवट

सभी निवासी ग्राम जमुआ तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R. 5460-टो/116 जिला- सीधी

विट्ठानी केवट व अन्य विरुद्ध हीरा लाल केवट व अन्य

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>हिमांशु शुक्ला</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर / अपर कलेक्टर, जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>89/31वील/91-92</u> में पारित आदेश दिनांक <u>15.9.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>7-3-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">\n सदस्य</p>

8. वंशपति तनय सरजू कवट

सभी निवासी ग्राम जमुआ तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0